तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
6.3.2023	पत्रावली पेश हुई वादी की ओर से श्री घनश्याम शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश कर फर्द के साथ दस्तावेज पेश किए जो शा. कि. किये गये बहस वकील वादी सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 10/4/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
10/4/23	वकील वादी उपस्थित दावा वादी डिक्री किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा. कि० किया गया। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल जाब्ता प्रविष्ट जिला लेख भण्डार हो सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/289/2021

वउनवान

1. रोहित पुत्र सतीश चन्द जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

बनाम

1. सतीशचन्द पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2. तहसीलदार तहसील कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

असल प्रतिवादीगण

3. प्रियंका पुत्री सतीशचन्द पत्नी गोविन्दसिंह जाति जाट निवासी पैरसर गादोली तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. रेखा पुत्री सतीशचन्द पत्नी पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पैरसर गादोली तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. अनीता पुत्री सतीशचन्द पत्नी राकेश जाति जाट निवासी जघीना तहसील सेवर जिला भरतपुर
6. प्रीति पुत्री सतीशचन्द पत्नी सुखवीर जातिजाट निवासी जघीना तहसील सेवर जिला भरतपुर
7. नाबालिग करीना पुत्री दिनेश संरक्षक सपरस्त माता रेखा जातिजाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

8. रेखा पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर

9. सोहनसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा एडवोकेट– वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.04.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 170/532 रकवा 0.31 हे. 22/533 रकवा 0.94 हे. 25 रकवा 0.39 हे. 26/536 रकवा 0.22 हे. किता 4 रकवा 1.86 हे. ग्राम धीवडी तहसील कठूमर में स्थित है। वादी ने दावा के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा वर्णित किया है व कथन किया कि वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 के बाबा तेजसिंह थे तेजसिंह के तीन संतान सतीश, सोहनसिंह, व दिनेश पैदा हुये। दिनेश फौत हो चुका है और सतीश के पांच संतान उत्पन्न हुई जिनमें वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 है। विवादित आराजी वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी के पिता सतीश के नाम दर्ज चली आ रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित आराजी में वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। ऐसी सूरत में वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कराकर अपने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आपको विवादित आराजी के 7/18 हिस्सा में से 5/6 हिस्सा घोषित कराने का अधिकारी है। हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 ने वादी को खुले आम धमकी दी है कि मैं तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्सा पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा करके रहूँगा या हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन बय हिबा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूंगा। प्रतिवादी अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है यदि प्रतिवादी अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गया तो वादी तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा। अतः वादी प्रतिवादी को डिक्री हुक्मइन्तनाईई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः वादी ने दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजे गये। दिनांक 20.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 1–2–7–8–9 बाबजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई। दिनांक 12.11.2022 को वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी सं० 3 ला० 6 से कोई अनुतोष नहीं चाहने व इनका नाम दावा से तर्क करने का निवेदन किया। वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी सं० 3 ला० 6 का नाम दावा से तर्क किया गया।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह **PW1** रोहित स्वंय वादी, **PW2** गवाह राजवीर एंव **PW3** गवाह राकेश कुमार के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है। जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, गवाहान के वयानों का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 तेजसिंह वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के दादा लगते है। उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का 7/18 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण का 5/6 हिस्सा बनता है। वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सावित है। अतः दावा वादीग मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 2014 पेज 74, आर आर टी 2022 (1) पेज 610, आर आर टी 2021 (2) पेज 855 की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

कानूनी नजीरों का अध्ययन किया जाये तो–

आर आर डी 2022 (1) पेज 610 करना वगैरा बनाम चतुर्भुज वगैरा में राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पष्ट किया है कि पुत्रों के समान ही पुत्रियों को जन्म से बराबर हक प्राप्त है व पुत्रियों को पैत्रिक सम्पत्ति से बंचित नहीं किया जा सकता।

आर आर टी 2021(2) पेज 855 नत्थूलाल वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में राजस्व मण्डल अजमेर ने स्पष्ट किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति में पोत्र को पार्सनर होने से जन्म से ही हक व हिस्सा रखता है।

आर आर डी 2014 पेज सं0 74 श्याम बनाम जगबन्ती वगैरा में राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि पैत्रिक कृषि भूमि में पोत्र व पोत्रियों का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है और उनके शेयरों का विकय पत्र द्वारा निष्पादन किसी और के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रदर्श 1 जमाबन्दी में विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 सतीश व अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वहस के दौरान जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 की छाया प्रति पेश की है जिसमें विवादित आराजी वादी के दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता तेजसिंह व अन्य साझीदारान की खातेदारी में दर्ज है। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के दादा तेजसिंह से प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व रेकार्ड से यह सावित है कि विवादित आराजी वादी के दादा तेजसिंह की खातेदारी की है जो प्रतिवादी सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुआ है। विवादित आराजी वादी के दादा की पैदा कर्दा सवित होने से वादी को विवादित आराजी में बाई बर्थ हक व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया इससे सावित है कि इसमें प्रतिवादी की भी मौन स्वीकृति है। अधिवक्ता वादी ने अपने कथनों की पुष्टि में कानूनी नजीर पेश की है जो प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती है। कानूनन दादा की पैदा कर्दा आराजी में उसके पोत्र पोत्रियों को हक हिस्सा व अधिकार होता है। विवादित आराजी वादी के दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता तेजसिंह की पैदा कर्दा होने से पैत्रिक सावित है। जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 का 5/6 हिस्सा पर कब्जा सावित है। अतः वादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 7/18 हिस्सा में से 5/6 हिस्स की अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः वाद वादी सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 170/532 रकवा 0.31 हे. 22/533 रकवा 0.94 हे. 25 रकवा 0.39 हे. 26/536 रकवा 0.22 हे. किता 4 रकवा 1.86 हे. ग्राम धीवडी तहसील कठूमर में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 7/18 हिस्सा में से वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 को 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम हाल राजस्व रेकार्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी व तरतीवी प्रतिवादी स0 3 ला0 6 उपरोक्त हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

आज दिनांक 10.04.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

7- नाबालिग करीना पुत्री दिनेश सरंक्षक सरपरस्त माता रेखा जाति जाट

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

राजस्व वाद संख्या 1/289/2021

वउनवान

1. रोहित पुत्र सतीश चन्द जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

डिक्रीदार

बनाम

1 सतीशचन्द पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

2. तहसीलदार तहसील कठूमर जरिये लैण्ड होल्डर

असल मदयूनान

3. प्रियंका पुत्री सतीशचन्द पत्नी गोविन्दसिंह जाति जाट निवासी पैरसर गादोली तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. रेखा पुत्री सतीशचन्द पत्नी पुरूषोत्तम जाति जाट निवासी पैरसर गादोली तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. अनीता पुत्री सतीशचन्द पत्नी राकेश जाति जाट निवासी जघीना तहसील सेवर जिला भरतपुर
6. प्रीति पुत्री सतीशचन्द पत्नी सुखवीर जातिजाट निवासी जघीना तहसील सेवर जिला भरतपुर
7. नाबालिग करीना पुत्री दिनेश संरक्षक सपरस्त माता रेखा जातिजाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

8. रेखा पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर
9. सोहनसिंह पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी नगला साद तहसील कुम्हेर

तर0 प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी वावत खसरा नम्बर 170/532 रकवा 0.31 हे. 22/533 रकवा 0.94 हे. 25 रकवा 0.39 हे. 26/536 रकवा 0.22 हे. किता 4 रकवा 1.86 हे. ग्राम धीवडी तहसील कठूमर में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 7/18 हिस्सा में से वादी व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 को 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 का नाम हाल राजस्व रेकार्ड से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी व तरतीवी प्रतिवादी स0 3 ला0 6 उपरोक्त हिस्सा के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 10.04.2023 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०